न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी0आर0सं0:-643/2019

ओबरा थाना कांड संख्या :-216/2019

19.09.2019 आवेदक ट्रक निबंधन संख्या-BR1G6502 के स्वामी जगन्नाथ प्रसाद सिंह के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक-07.08.2019 को दाखिल आवेदन को संचालित करने हेतु उपस्थिति पत्र के साथ एक आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अ0 प0 को दी गई ।

उपरोक्त आवेदन दिनांक-07.08.2019 के आलोक में आवेदक जगन्नाथ प्रसाद सिंह के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि उक्त जप्त ट्रक निबंधन सं0-BR1G6502, जिस पर सीमेंट लदा है ओबरा थाना द्वारा जप्त कर लिया गया है । उक्त वाहन का स्वामी आवेदक है । वाहन जप्त रहने से वाहन मालिक को आर्थिक नुकसान हो रहा है । अतः आवेदक के पक्ष में उक्त वाहन को सीमेंट सहित मुक्त किया जाय ।

उक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना । अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त ट्रक निबंधन सं0-BR1G6502 ओबरा थाना में जप्त है । उक्त वाहन का जप्ती सूची अभिलेख पर उपलब्ध है, जिसमें वाहन का जिक्र है लेकिन सीमेंट का जिक्र नही है । उक्त वाद के अनुसंधानक के द्वारा मोटरयान निरीक्षक प्रतिवेदन के साथ इस आशय का प्रतिवेदन दर्शित किया गया है कि "जप्ती सूची में सीमेंट को अंकित नही किया गया है तथा उक्त वाहन या सीमेंट की आवश्यकता अनुसंधान के दौरान नही है"। चूँकि अनुसंधानक के प्रतिवेदनानुसार सीमेंट जप्त नही किया गया है । अतः सीमेंट का मुक्ति आदेश पारित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । जहाँ तक जप्त वाहन का सम्बन्ध है, उससे सम्बन्धित स्क्रीन प्रतिवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी पटना के पत्रांक-3881 दिनांक-02.09.2019 के तहत समर्पित है । उक्त वाहन का स्क्रीन प्रतिवेदन एवं मोटरयान निरीक्षक प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त ट्रक का निबंधन संख्या-BR1G6502, इंजन संख्या-697TC55LUZ137625, चेसिस सं0-373344LUZ007864 है। आवेदक की ओर से उक्त वाहन का स्वामित्व प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज की मूल प्रति दाखिल किया गया, जिससे विदित होता है कि उक्त वाहन का निवंधन संख्या, चेसिस संख्या एवं इंजन संख्या, स्क्रीन प्रतिवेदन एवं मोटरयान निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार ही है। उक्त वाहन का दुरूस्ती की वैधता दिनांक-30.09.2019 तक, कर की वैधता दिनांक-20.10.2019 तक, परमिट की वैधता दिनांक-19.04.2024 तक एवं बीमा की वैधता दिनांक :-01.07.2020 की मध्य रात्रि तक है । आवेदक के अतिरिक्त अन्य कोई दावेदार उक्त वाहन के सम्बन्ध में अभी तक नही आया है । उक्त वाहन की मूल दस्तावेज मिलान करने के उपरांत, मूल दस्तावेज आवेदक को वापस कर दिया गया ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त आवेदक जगन्नाथ प्रसाद सिंह के पक्ष में उक्त जप्त ट्रक निबंधन संख्या-BR1G6502, इंजन संख्या-697TC55LUZ137625, चेसिस संख्या-373344LUZ007864 को मुक्त करना न्यायोचित समझता हूँ। ऐसी स्थिति में आवेदक जगन्नाथ प्रसाद सिंह के पक्ष में उक्त ट्रक निबंधन संख्या-BR1G6502 को मो0-5,00,000X1 के समान राशि के क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का ऑनर बुक, बीमा की प्रति, उक्त वाहन का चालक का अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र एवं उक्त वाहन का सम्बन्धित कार्यालय द्वारा रोड परमिट की निर्गत प्रति की छायाप्रति जो गजटेड पदाधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित हो, दाखिल करें । आवेदक इस आशय का एक

लगातार

न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी0आर0सं0:-643/2019

ओबरा थाना कांड संख्या :-216/2019

लगातार

19.09.2019 शपथ पत्र भी दाखिल करेगा कि उक्त वाहन को घटना के समय चालक के रूप में कौन कार्यरत था नाम दर्शित करेगा, वाहन की मुक्ति के पश्चात् वाद के निष्पादन तक उसके रंगरूप-स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, बिक्रय नही करेगा, न्यायालय द्वारा मांग किये जाने पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगा एवं वाहन के सम्बन्ध में जो दस्तावेज दाखिल किया गया है वह सत्य है ।

थाना प्रभारी ओबरा को निर्देश दिया जाता है कि उचित पहचान पर आवेदक के पक्ष में उक्त निबंधन संख्या से सम्बन्धित जप्त वाहन को पंचनामा के तहत मुक्त करें ।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने एवं स्वीकृति उपरांत उक्त आदेश के आलोक में मुक्ति आदेश निर्गत करें ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।